भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4009
25 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात का आयात

4009. श्री इमरान मसूद:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा घरेलू इस्पात कीमतों, विशेषकर हॉट-रोल्ड कॉयल की कीमतों पर बढ़ते इस्पात आयात और मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार घरेलू निर्माताओं को सहायता देने और उन्हें डंपिंग प्रथाओं से बचाने के लिए आयातित इस्पात पर शुल्क या टैरिफ लगाने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो इसकी योजना कब तक बनाई जाने की संभावना है;

(घ) सरकार मुद्रास्फीति के दबावों को घरेलू इस्पात उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किफायती इस्पात पर निर्भर पूंजीगत व्यय परियोजनाओं की सुरक्षा की आवश्यकता के साथ किस प्रकार संतुलित करने का विचार रखती है; और

(ड.) लंबी अवधि में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू इस्पात निर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ङ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इस्पात की कीमतें बाजार शक्तियों की मांग-आपूर्ति संबंधी गतिशीलताओं द्वारा निर्धारित होती हैं। सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातारण सृजित करके एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है।

सरकार ने इस्पात के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू इस्पात विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को शुरू किया गया है।

जारी....2/-

(ii) उद्योग, प्रयोक्ताओं और आम जनता के लिए गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) को लागू करके घरेलू बाजार में घटिया/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों के साथ-साथ आयातों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(iii) सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' स्टील को बढ़ावा देने हेतु स्वदेशी रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमएआईएंडएसपी) नीति का क्रियान्वयन किया गया।

(iv) वर्तमान में कुछ इस्पात उत्पादों जैसे सीमलेस ट्यूब, लौह के पाइप और खोखले प्रोफाइल, मिश्रधातु, या गैर-मिश्रधातु इस्पात (कच्चा लोहा और स्टेनलेस स्टील के अलावा) (चीन पीआर से), इलेक्ट्रो-गैल्वेनाइज्ड इस्पात (कोरिया आरपी, जापान, सिंगापुर से), स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप (चीन पीआर से), वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब (वियतनाम और थाईलैंड से) से संबंधित पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) लगाए जाने संबंधी उपाय किए गए हैं।

(v) चीन और वियतनाम से वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइपों और ट्यूबों के लिए प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) लागू है।

******